न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (बसिया)

आदेश

वाद सं0 30/2018
धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – सुनीता देवी वगै0 ....
बनाम
द्वितीय पक्ष – बलराम कंसारी वगै0 ....

आदेश की क्र0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	अभिलेख उपस्थापित :– थाना पालकोट के अप्राथमिकी संख्या 08/2018 दिनांक 16.05.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष**– सुनीता देवी उम्र 35 वर्ष पति– स्व0 संतोष कंसारी (2) विकास कंसारी उम्र 20 वर्ष पिता– संतोष कंसारी (3) रामचन्द्र कंसारी उम्र 60 वर्ष पिता– स्व0 शिवनारायण कंसारी (4) कुमार मणिक उम्र 42 वर्ष पिता– रामचन्द्र कंसारी सभी ग्राम–पालकोट, कंसारी मोहल्ला थाना– पालकोट जिला– गुमला **द्वितीय पक्ष**– (1) बलराम कंसारी उम्र 35 वर्ष पिता– सोनामाली कंसारी (2) सोनामाली कंसारी उम्र 58 वर्ष पिता– स्व0 लखनों कंसारी सभी ग्राम– पालकोट थाना– पालकोट जिला– गुमला के बीच घरेलू विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को लेकर वाद लाया गया था। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद की कार्रवाई अवधि में उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार की शांति भंग एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त वाद की कार्रवाई अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद नहीं होने के कारण आज दिनांक 27/09/2024...... को उक्त वाद के अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला) (हस्ताक्षर 27/9/24) — अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला) (हस्ताक्षर 27/9/24) Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM Date: 2024.09.26 16:20:45 +05:30 Location: 192.168.1.4	